संख्या-13/2020/06मंत्री/क.नि.प्र./26-3-2020-18(51)/2018

प्रेषक,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश शासन।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ लखनऊ: दिनांक: 17 फरवरी,2020

समाज कल्याण विभाग

विषय :- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजना हेतु धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-13/2018/481/क.नि.प्र./26-3-2018-15(38)/2015 दिनांक 28 मार्च, 2018 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-83 से अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास योजनान्तर्गत जनपद गोण्डा के कुल 05 गांवों में स्वीकृत/अनुमोदित कुल लागत के सापेक्ष द्वितीय किश्त के रूप में रू0 208.91 लाख (रू0 दो करोड़ आठ लाख इक्यानबे हजार मात्र) को अधूरे अवशेष सम्पूर्ण कार्यो को पूर्ण कराये जाने हेतु निम्नलिखित विवरण के अनुसार स्वीकृत कर व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

जनपद- गोण्डा				(धनराशि लाख रूपये में)	
विकास खण्ड का नाम	**ग्राम का नाम**	**कार्य का नाम**	**प्रशासकीय स्वीकृति**	**पूर्व स्वीकृत प्रथम किस्त**	**आवंटित की जा रही धनराशि**
1	2	3	4	5	6
वजीरगंज	मोहनपुर	रबर मोल्डिंग, इंटरलाकिंग टाइल द्वारा निर्मित संपर्क मार्ग का निर्माण	60.34	15.09	45.25

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

1	2	3	4	5	6
	गनेशपुर ग्रण्ट	रबर मोल्डिंग, इंटरलाकिंग टाइल द्वारा निर्मित संपर्क मार्ग का निर्माण	69.62	17.41	52.21
मनकापुर	बेरीपुर रामनाथ	रबर मोल्डिंग, इंटरलाकिंग टाइल द्वारा निर्मित संपर्क मार्ग का निर्माण	43.75	10.90	32.85
	महोवा गोपाल	रबर मोल्डिंग, इंटरलाकिंग टाइल द्वारा निर्मित संपर्क मार्ग का निर्माण	54.73	13.68	41.05
	वीरेपुर	रबर मोल्डिंग, इंटरलाकिंग टाइल द्वारा निर्मित संपर्क मार्ग का निर्माण	50.07	12.52	37.55
		योग-	278.51	69.60	**208.91**

(रू. दो करोड़ आठ लाख इक्यानबे हजार मात्र)

1. उक्त स्वीकृति के सापेक्ष पूर्ण कराये जाने वाले अवशेष कार्यो हेतु स्वीकृत आंगणन में इंगित/अनुमोदित दरों के आधार पर यू.पी.स्टेट कांस्ट्रक्शन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0(सिडको) से कराया जायेगा।
2. निदेशक,समाज कल्याण द्वारा उक्त धनराशि आहरित कर प्रबन्ध निदेशक, सिडको को उपलब्ध करायी जायेगी। उक्त कार्य मद में अधिष्ठान व्यय लोक निर्माण विभाग द्वारा निर्धारित दर के अनुसार ही लिया जायेगा। कार्यदायी संस्था को धनराशि प्राप्त होने के तुरन्त बाद शीघ्र अवशेष कार्यो को पूरा किया जायेगा। प्रयोजना के निर्माण के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बिना समुचित कारण के यदि अनावश्यक रूप से विलम्ब होने से लागत में वृद्धि होती है तो इसके लिए निर्माण इकाई उत्तरदायी होगी।

3. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपभोग एस.सी.एस.पी./ टी.एस.पी. हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित मानक एवं दिशा निर्देशों तथा योजना संचालन संबंधी समय-समय पर निर्गत शासनादेशों में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
4. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/ उपयोग उन्हीं कार्यों/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी तथा इसके लिए संबंधित जिले के जिलाधिकारी/संबंधित अधिकारी उत्तदायी होगें।
5. प्रश्नगत स्वीकृत परियोजनाओं की विस्तृत ड्रांइग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति के संबंध में सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही निर्माण कार्य पूर्ण कराया जायेगा।
6. संबंधित जिलाधिकारी/संबंधित अधिकारी द्वारा उक्त कार्य के संबंध में यह पुष्टि की जायेगी कि यह कार्य पूर्व में अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न ही पूर्व में किया गया है तथा वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित नहीं है।
7. स्वीकृत की जा रही परियोजना की लागत में सम्मिलित 01 प्रतिशत लेबर सेस की धनराशि को नियमानुसार श्रम विभाग में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
8. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ.प्र. प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी। शासन को भेजे जाने वाले उपयोगिता प्रमाण-पत्र में कार्य के प्रगित/पूर्ण होने के फोटोग्राफ्स, योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यो के सदुपयोग प्रमाण पत्र इत्यादित देना सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-083-समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना) के अधीन लेखाशीर्षक- 4225-अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0106-अनुसूचित जाति बाहुल्य ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं का विकास (के.100/रा.0-के.)-24-वृहत निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2019/बी-1-170/दस-2019-231/2019 दिनांक 22 मार्च,2019 में निहित व्यवस्था के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

पृ.संख्या-13/2020/06मंत्री/(1)/क.नि.प्र./26-3-2020 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- जिलाधिकारी,गोण्डा ।
3- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ कोषाधिकारी गोण्डा।
4- वित्त नियंत्रक, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास), गोण्डा।
6- प्रबन्ध निदेशक,यू.पी.स्टेट कांस्ट्रक्शन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 (सिडको),उ.प्र. लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

डा0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया हैकता नही है ।क्षर की आवश्यइस पर हस्ता :अत ,
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।